कार्यालय लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश
संख्या– 07/1/एल.टी./परीक्षा/ई–6/2017–18 टी.सी.–9
प्रयागराजः दिनांक 10 जून, 2021

ऑनलाइन विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा आयोजित की गयी **सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरूष/महिला) परीक्षा 2018** के आधार पर सहायक अध्यापक कृषि (पुरुष) विषय के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्तियों का परिणाम औपबंधिक रूप से दिनांक 01 अप्रैल 2021 को जारी किया जा चुका है। उक्त कम में औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों का सत्यापन दिनांक 09–07–2021 को निर्धारित है।

सत्यापन कार्यकम निम्नवत् हैः–

सहायक अध्यापक कृषि पुरूषः– सत्यापन पूर्वान्ह 10:00 से 1:00 बजे तक

अनुकमांक–379019, 383935, 381258, 378298,

2–विज्ञापन के अनुसार प्रश्नगत पद हेतु अनिवार्य अर्हता निम्न हैं:–

(एक) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि/उद्यानकर्म में स्नातक की उपाधि।

(दो) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि।

3–औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों से सम्बन्धित आवेदन–पत्र, प्रमाणीकरण प्रपत्र, देशना–पत्रक, अंकतालिका तथा अन्य अभिलेख आयोग की वेबसाइट http://uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध है। समस्त औपबंधिक रूप से सफल अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि जो अभ्यर्थी उपर्युक्त अनिवार्य अर्हता धारित करते हैं, वे इसे डाउनलोड कर एवं पूर्णतः भरकर निम्न अभिलेखों को उसके साथ संलग्न कर दो प्रतियों के साथ अपने अभिलेख सत्यापन की तिथि को उपरोक्त कार्यकम के अनुसार आयोग कार्यालय के परीक्षा हाल के प्रथम तल पर पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 1:00 बजे के मध्य उपस्थित हों। अभिलेखों के सत्यापन हेतु उपस्थित न होने पर यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद हेतु इच्छुक नहीं है, अतः उसका परीक्षा परिणाम/अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा और आयोग उक्त रिक्त पद के सापेक्ष अग्रेतर कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ सत्यापन हेतु निम्नलिखित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य हैः–

1–हाईस्कूल अंकपत्र तथा प्रमाण प्रत्र की मूल एवं छाया प्रतियां।

2–इण्टरमीडिएट अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र की मूल एवं छाया प्रतियां।

3–प्रश्नगत पदों के सापेक्ष आयोग द्वारा विज्ञापित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता स्नातक के प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र तथा शिक्षा स्नातक के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की मूल एवं छाया प्रतियां।

4–आरक्षण एवं स्थाई निवास के दावे के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों की मूल एवं छाया प्रतियां (महिला अभ्यर्थी की दशा में जाति/निवास प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या–22/39/1982–कार्मिक–2, दिनांक 17 मई 1984 के अनुसार पिता पक्ष से ही जारी मान्य होगा)।

5–सरकारी सेवक/कार्मिक होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

6–दो पासपोर्ट साइज नवीनतम् फोटोग्राफ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित तथा दो बिना प्रमाणित फोटोग्राफ आवेदन पत्र के शीर्ष पर चस्पा कर उक्तानुसार उपस्थित हों।

नोटः–ऐसे अभ्यर्थी जिनके हाई स्कूल, इण्टर, स्नातक, शिक्षा स्नातक एवं अन्य अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों में नाम/पिता के नाम में भिन्नता हो, वे इस आशय का नोटरी शपथ पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करें।

2–उपरोक्त कार्यकमानुसार उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत निम्न बातों का ध्यान रखना अतिआवश्यक होगाः–

(क) अभ्यर्थीगण निर्धारित तिथि एवं समय पर मास्क पहन कर ही आयोग में उपस्थित हों एवं अपने साथ वांछित मूल एवं छाया प्रति अभिलेखों के अतिरिक्त कोई भी सामान यथा बैग, ब्रीफकेश इत्यादि न लायें।

(ख) अभ्यर्थियों से शासन द्वारा लॉकडाउन अवधि में बनाये गये सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन करना अपेक्षित है, तथा उनको आपस में मिलना जुलना एवं नजदीक नहीं बैठना है।

(ग) आयोग के गेट नं0–2 पर पहुंचने पर अभ्यर्थियों को हैण्डवास एवं सेनेटाइजर उपलब्ध कराया जायेगा। हैण्डवास एवं सेनेटाइजर का उपयोग करने एवं थर्मल स्कैनिंग कराने के उपरान्त ही अभ्यर्थी आयोग परिसर में प्रवेश करें।

(अरविन्द कुमार मिश्र)
परीक्षा नियंत्रक।